

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतमनगर भोपाल-462021

दूरभाष : 91-755-2583650, फेक्स: 2583651, ई-मेल dpimp@sanchanet.in
क्रमांक / लो.शि.स. / रा.अका.सम. / 3 / 62 / 10 भोपाल दिनांक 27 जुलाई, 2010
प्रति,

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
2. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास (समस्त जिले)
3. समस्त जिला शैक्षिक समन्वयक, मध्यप्रदेश

विषय:- कक्षा 9 वीं एवं 10वीं में नव प्रवेशित/अध्ययनरत् विद्यार्थियों हेतु गणित विषय के फाउंडेशन माड्यूल का अध्यापन करवाने संबंधी।

---0---

विगत वर्ष संचालित शैक्षिक अभ्युत्थान में यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि कक्षा 9 वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत् अधिकांश विद्यार्थियों को गणित विषय का प्रारंभिक ज्ञान समुचित स्तर का नहीं है। इस कारण सीधे इकाई वार अध्यापन प्रारंभ करने पर विद्यार्थी को नई कक्षा के पाठ्यक्रम को समझने में अत्यंत कठिनाई का अनुभव होता है। इकाई वार अध्ययन की पूर्व आवश्यकता यह है कि उसे पिछली कक्षा तक के गणित विषय के पाठ्यक्रम की समस्त अवधारणाओं के संबंध में सम्पूर्ण ज्ञान हो।

2. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये राज्यस्तरीय अकादमिक टीम ने गणित विषय के लिये एक फाउंडेशन माड्यूल तैयार किया है। जिसके अध्ययन उपरांत विद्यार्थी कक्षा 9 वीं एवं 10वीं की प्रथम इकाई के अध्ययन के लिये मानसिक रूप से तैयार हो सकेगा। उपरोक्त फाउंडेशन माड्यूल का अध्यापन डी और ई श्रेणी के विद्यार्थियों को केन्द्र में रख कर सभी विद्यार्थियों को कराया जाये।

3. गणित विषय का उपरोक्त फाउंडेशन माड्यूल स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेब साइट का पता www.sednmp.nic.in है।


4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शैक्षिक समन्वयक का यह दायित्व है इस माड्यूल की आवश्यक संस्था में फोटोकापी प्रतियाँ (मय आवरण पत्र) कराकर प्रत्येक शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल में इसकी एक प्रति पहुँचाना सुनिश्चित करें।

5. संबंधित संस्था के प्राचार्य का दायित्व है कि वे इस माड्यूल के लिये निर्धारित अवधि में न केवल अध्यापन सुनिश्चित करावें बल्कि साप्ताहिक टेस्ट के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थियों ने इस माड्यूल में निर्धारित अन्तरवस्तु ग्रहण कर ली है।

6. इस माड्यूल का अध्यापन कराने वाले गणित विषयक के शिक्षक द्वारा यह अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए कि इस माड्यूल के अध्यापक उपरांत कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं से पूर्व को कक्षाओं में पढाई जाने वाली गणित विषय की सभी संकल्पनाओं के संबंध में न्यूनतम अधिगम स्तर को अवश्य प्रदाकर ले।

7. इस माड्यूल का अध्यापन आगामी 15 अगस्त के पूर्व पूर्ण करा लिया जाना चाहिए। तथा विलम्ब से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिये यह माड्यूल अतिरिक्त कक्षा लेकर पढाया जाये।

8. यद्यपि फाउंडेशन माड्यूल को तैयार करने में अकादमिक टीम ने पर्याप्त सतर्कता बरती है। इसके बावजूद भी गलतियों/कमियों (Errors & Omissions) की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः सर्वसंबंधितों से अनुरोध है कि यदि आप फाउंडेशन माड्यूल में को त्रुटि पाते हैं तो उसे बेहिकत तत्काल अधोहस्ताक्षकर्ता के ध्यान में लावें ताकि उसे समय रहते सुधारा जा सके। यदि आप फाउंडेशन माड्यूल में कुछ सामग्री घटाना या जोड़ना आवश्यक समझते हैं, तो उसे भी "रेडी टू यूज फार्मेट" में अधोहस्ताक्षकर्ता को भिजवाये, ताकि उसे विशेषज्ञों के परीक्षण उपरांत साभार सम्मिलित किया जा सके।




(प्रभात आर. तिवारी)

राज्य अकादमिक समन्वयक
वास्ते-आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पु.क्रमांक/लो.शि.स./रा.अका.सम./3/63/10
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 27 जुलाई, 2010

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर कृत कार्यवाही से माननीय मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
 4. आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
 3. संभागीय आयुक्त, समस्त की ओर म.प्र.।
 4. समस्त कलेक्टर म.प्र.।
 5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
 6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


27-7-10
राज्य अकादिमक समन्वयक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश